प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

(माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रीतीन्कर दिवाकर)

दाण्डिक अपील क्रमांक 2416/1998

अपीलार्थी भागवत साहू

- बनाम-

प्रत्यर्थी मध्य प्रदेश राज्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अपीलार्थी की ओर से श्री आर. एस. मरहास, अधिवक्ता ।

राज्य की ओर से श्री नीरज मेहता, पैनल अधिवक्ता।

(दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 374 (2) के अंतर्गत दांडिक अपील)

निर्णय

(28.01.2011)

वर्तमान अपील द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक 184/1997 में पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 25.09.1998 से उद्भूत हुई है, जिसके द्वारा अभियुक्त/अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 304-ख

सहपठित धारा 34 के अंतर्गत सिद्धदोष करते हुए उसे सात वर्ष के सश्रम कारावास से दंडित किया गया है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि अपीलार्थी, मृतका गायत्री बाई का पति है तथा उनका विवाह वर्ष 1994 में संपन्न हुआ था और गौना समारोह वर्ष 1995 में हुआ। दिनांक 11.04.1996 को प्रातः लगभग 9 बजे मृतका गायत्री बाई को 100% जलने की चोटें आईं और उसी दिन चिकित्सालय ले जाते समय उसकी मृत्यु हो गई। दिनांक 11.04.1996 को ही अभियुक्त/अपीलार्थी के पिता बैसाखू द्वारा मर्ग सूचना (प्र.पी.-8) दी गई। इसके पश्चात् दिनांक 23.04.1996 को मृतका के पिता धनीराम साहू (अ.सा.-3) तथा गंगा प्रसाद (अ.सा.-6) द्वारा कलेक्टर के समक्ष एक शिकायत प्रतिवेदन (प्र.पी.-5) प्रस्तुत किया गया, जिसमें अभियुक्त/अपीलार्थी तथा उसके माता-पिता के विरुद्ध दहेज की मांग एवं क्रूरता के आरोप लगाये गए। विवेचना उपरांत दिनांक 12.06.1996 को अभियुक्त/अपीलार्थी, उसकी माता खेलन बाई एवं पिता बैसाखू के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 306/34 के अंतर्गत प्रथम सूचना प्रतिवेदन (प्र.पी.-12) दर्ज की गई तथा इसके बाद दिनांक 29.06.1996 को साक्षियों के केस डायरी कथन दर्ज किए गए। तथापि, दिनांक 27.07.1996 को केवल अभियुक्त/अपीलार्थी एवं उसकी माता खेलन बाई के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 306/34 के अपराध में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. अभियुक्तों को दोषी ठहराने हेतु अभियोजन पक्ष ने अपने मामले के समर्थन में 08 साक्षियों का परीक्षण कराया। अभियुक्तों के कथन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत भी दर्ज किए गए, जिसमें उन्होंने अपने विरुद्ध लगाये गये आरोपों का खंडन किया तथा स्वयं को निर्दोष बताते हुए प्रकरण में झूठा फँसाए जाने का अभिवाक किया। इसके अतिरिक्त, बचाव पक्ष द्वारा अपने मामले के समर्थन में निर्मला (ब.सा.-1) नामक एक साक्षी का भी परीक्षण कराया गया। तथापि, विचारण न्यायालय ने अभियुक्तों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 304-ख/34 के अंतर्गत आरोप विरचित किए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. पक्षकारों को सुनने के पश्चात्, विचारण न्यायालय ने सह-अभियुक्त खेलन बाई, जो अपीलार्थी की माता है, को भारतीय दंड संहिता की धारा 304-ख सहपठित धारा 34 के अपराध से दोषमुक्त कर दिया, किंतु अभियुक्त/अपीलार्थी को उक्त अपराध के लिए दोषसिद्ध कर दंडित किया।

5. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज कराने में 12 दिनों का अत्यधिक विलंब हुआ है, क्योंकि घटना दिनांक 11.04.1996 को घटित हुई थी, जबकि शिकायत प्रतिवेदन दिनांक 23.04.1996 को दर्ज कराया गया, और इस अत्यधिक विलंब का कोई युक्तिसंगत स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। उन्होंने आगे तर्क प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी को धनीराम (अ.सा.-3), शुपवारा बाई

(अ.सा.-4), झुनिल बाई (अ.सा.-5) एवं गंगा प्रसाद साहू (अ.सा.-6) के कथनों के आधार पर दोषसिद्ध किया गया है, जबकि यदि इन साक्षियों के साक्ष्यों पर समग्र रूप से विचार किया जाए तो भारतीय दंड संहिता की धारा 304-ख का अपराध सिद्ध नहीं होता। उनका कहना है कि अधिकांश साक्षियों ने न्यायालय में अपने पूर्व कथनों में सुधार किया है तथा केस डायरी में दिए गए कथनों के विपरीत कथन दिए हैं, और जब उनसे इस संबंध में प्रतिपरीक्षण किया गया तो उन्होंने स्वयं इस तथ्य को स्वीकार किया है; यहाँ तक कि विवेचना अधिकारी ने भी इस तथ्य को स्वीकार किया है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि अभिलेख पर ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिससे यह सिद्ध हो कि मृत्यु से कुछ समय पूर्व मृतका को अपीलार्थी द्वारा किसी प्रकार की क्रूरता या उत्पीड़न का सामना करना पड़ा था। आगे यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपीलार्थी एवं मृतका दोनों अत्यंत निर्धन परिवार से संबंधित थे तथा अपीलार्थी द्वारा अपने व्यवसाय हेतु 5,000 रुपये की मांग की गई थी, जिसे दहेज प्रतिषेध अधिनियम में परिभाषित दहेज नहीं माना जा सकता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. इसके विपरीत, राज्य की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने आक्षेपित निर्णय का समर्थन करते हुए यह तर्क दिया कि मृतका को इतनी अधिक क्रूरता का सामना करना पड़ा कि उसके पास स्वयं को आग लगाकर आत्महत्या करने के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प नहीं बचा। उनका कहना है कि यदि मृतका को प्रताड़ना अथवा

क्रूरता का सामना न करना पड़ा होता तो उसके जीवन का अंत करने का कोई कारण नहीं था। उन्होंने आगे तर्क प्रस्तुत किया कि धनीराम (अ.सा.-3) एवं झुनिल बाई (अ.सा.-5) के कथनों से यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी ने भारतीय दंड संहिता की धारा 304-ख के अंतर्गत अपराध कारित किया है।

7. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया तथा अभिलेख पर उपलब्ध समस्त सामग्री, जिसमें आक्षेपित निर्णय भी सम्मिलित है, का अवलोकन किया गया।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

8. रामकुसल (अ.सा.-1), जो मृत्यु समीक्षा का साक्षी है तथा गांव के रिश्ते में मृतका का मामा है, ने अभियुक्त/अपीलार्थी के विरुद्ध कोई आरोप नहीं लगाया है। डॉ. ए. के. श्रीवास्तव (अ.सा.-2), जिन्होंने डॉ. एस. के. श्रीवास्तव के साथ मिलकर मृतका का शव परीक्षण किया था तथा अपना प्रतिवेदन प्र.पी.-4 प्रस्तुत किया, के अनुसार मृतका की मृत्यु का कारण धुएँ के कारण दम घुटना है।

धनीराम (अ.सा.-3), जो मृतका का पिता है, ने कथन किया है कि मृतका का विवाह वर्ष 1994 में अपीलार्थी के साथ संपन्न हुआ था तथा विवाह के लगभग एक वर्ष पश्चात् गौना समारोह हुआ। गौना के बाद मृतका अपने पति (अभियुक्त/अपीलार्थी), सास खेलन बाई, ससुर बैसाखू राम तथा अपीलार्थी की दो छोटी बहनों और एक भाई के साथ अपने ससुराल में रहने लगी। मृत्यु से पूर्व

मृतका प्रायः उसके घर आती-जाती रहती थी और वह भी उसके घर जाया करता था। गौना समारोह के लगभग छह माह पश्चात्, जब वह ग्राम गोंडईया में मिस्त्री (राजमिस्त्री) का कार्य कर रहा था, तब अभियुक्त/अपीलार्थी उसके पास यह कहकर आया कि वह उसके साथ काम करेगा और उसकी पुत्री भी अभियुक्त/अपीलार्थी के पीछे-पीछे वहाँ आ गई तथा कहा कि वह जहाँ भी अभियुक्त/अपीलार्थी रहेगा, वहीं उसके साथ रहेगी। तब इस साक्षी ने उन्हें उसके साथ काम न करने के लिए समझाया और यह कहकर उन्हें उनके गाँव वापस भेज दिया कि वह अपनी पुत्री को काम करने की अनुमति नहीं देगा तथा उनके खर्च की व्यवस्था कर देगा। रतनपुर मेले के समय मृतका ने उसे बताया था कि किसी पारिवारिक विवाद के कारण अभियुक्त/अपीलार्थी ने उसके साथ मारपीट की थी। इसके पश्चात् उसने अभियुक्त/अपीलार्थी के साथ मिलकर रेडीमेड कपड़ों का व्यवसाय किया। कोटा मेले के समय जब उसने अभियुक्त/अपीलार्थी को रेडीमेड कपड़े दिए, तो उसने उन्हें रखने से इंकार कर दिया। उसने आगे बताया कि लगभग 10 दिन बाद मृतका उसके पास आई और कहा कि अभियुक्त/अपीलार्थी व्यवसाय के लिए 5,000 रुपये की मांग कर रहा है, जिस पर उसने 1,400 रुपये दिए, और उसके लगभग एक सप्ताह पश्चात् मृतका की जलने की चोटों के कारण मृत्यु हो गई। उसने यह भी कहा कि मृत्यु समीक्षा के समय वह उपस्थित था और उसने प्र.पी.-6 पर हस्ताक्षर किए थे। इस चरण पर उक्त साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया। प्रतिपरीक्षण में

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

इस साक्षी ने स्वीकार किया कि अभियुक्त/अपीलार्थी ने केवल एक बार अपने व्यवसाय के लिए 5,000 रुपये की मांग की थी, जिसके बदले उसने 1,400 रुपये दिए थे। उसने यह भी स्वीकार किया कि जब भी मृतका बीमार पड़ती थी, उसका उपचार अभियुक्त/अपीलार्थी ही कराता था। इस साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि पुलिस द्वारा उसका केस डायरी कथन दर्ज किया गया था, जिसमें उसने यह कहा था कि उसने कभी भी अभियुक्त/अपीलार्थी द्वारा मृतका के साथ की गई किसी प्रकार की प्रताड़ना या क्रूरता के विषय में नहीं सुना था और न ही किसी अन्य व्यक्ति ने उसे इस संबंध में कोई जानकारी दी थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

शुखवारा बाई (अ.सा.-4), जो धनीराम की पड़ोसी है, ने न्यायालय में अपने कथन में कहा कि उसका घर धनीराम (अ.सा.-3) के घर के समीप है और मृत्यु से लगभग एक सप्ताह पूर्व जब मृतका उसके घर आई थी, तब उसने उसे बताया था कि अभियुक्त/अपीलार्थी पैसे की मांग करते हुए उसके साथ मारपीट करता था। जबकि अपने केस डायरी कथन में इस साक्षी ने कहा है कि मृतका ने उसे बताया था कि उसका पति साइकिल और पैसे की मांग करता था तथा उस पर संदेह के कारण उसे बाहर जाने से मना करता था। झुनिल (अ.सा.-5), जो मृतका की माता है, ने कथन दिया कि नवरात्रि की पूर्व संध्या पर मृतका ने उसे बताया था कि अभियुक्तगण टी.वी. और घड़ी की मांग कर रहे थे तथा अभियुक्त/अपीलार्थी व्यवसाय के लिए 5,000 रुपये की मांग कर रहा था। उसने यह भी कहा कि

दोषमुक्त किये गये अभियुक्त खेलन बाई मृतका को दहेज लाने के लिए प्रताड़ित करती थी। इस साक्षी के कथन में धारा 161 दं.प्र.सं. के अंतर्गत दर्ज केस डायरी कथन की तुलना में महत्वपूर्ण विरोधाभास प्रतीत होते हैं, क्योंकि अपने केस डायरी कथन में उसने दहेज की मांग के संबंध में कोई आरोप नहीं लगाया था।

गंगा प्रसाद (अ.सा.-6), जो मृतका का चाचा है, ने कहा कि एक त्योहार के समय मृतका एवं अभियुक्त/अपीलार्थी उसके भाई के घर आए थे और जब वे वापस जा रहे थे, तब उसने मृतका से पूछा कि वह उसके घर क्यों नहीं आई, जिस पर मृतका ने बताया कि उसका पति उसे कहीं भी जाने की अनुमति नहीं देता था और इसके पश्चात् वह लौट गई। उसने यह भी कहा कि बाद में मृतका ने अपनी माता एवं पिता को अभियुक्त/अपीलार्थी द्वारा उसके साथ किए गए दुर्व्यवहार के बारे में बताया था। उसने यह भी जाना कि मृतका कोई काम नहीं करती थी और घर पर ही रहती थी, इसलिए अपीलार्थी उसे मारता-पीटता था तथा अपीलार्थी ने मृतका के पिता से अपना व्यवसाय प्रारंभ करने हेतु धन की मांग की थी। प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने स्वीकार किया कि उसने मृतका से जनवरी माह में मुलाकात की थी और उसके बाद वह उससे नहीं मिला तथा मृतका की मृत्यु अप्रैल माह में हुई। यद्यपि यह साक्षी शिकायत प्रतिवेदन प्र.पी.-5 का शिकायतकर्ता है, परंतु उसने इस संबंध में कोई विशेष कथन नहीं किया। जे. एल. लाकड़ा (अ.सा.-7) सहायक उपनिरीक्षक हैं, जिन्होंने विवेचना का आंशिक कार्य किया। बी. पी. पाण्डेय (अ.सा.-8), विवेचना

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

अधिकारी, ने अभियोजन के मामले का समर्थन किया है, किंतु उन्होंने यह तथ्य भी स्वीकार किया है कि मृतका के पिता ने उन्हें किसी भी प्रकार की दहेज मांग अथवा अभियुक्त/अपीलार्थी द्वारा मृतका के साथ की गई क्रूरता के संबंध में कोई सूचना नहीं दी थी।

9. साक्ष्यों के सूक्ष्म परीक्षण से यह प्रकट होता है कि अभियुक्त/अपीलार्थी, मृतका तथा उसके माता-पिता की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी और वे श्रमिक/राजमिस्त्री के रूप में कार्य करते थे। ऐसा प्रतीत होता है कि उनकी कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण पति-पत्नी के बीच कुछ विवाद होते रहते थे, किंतु इससे यह नहीं कहा जा सकता कि मृतका की मृत्यु दहेज मृत्यु थी। यह भी परिलक्षित होता है कि मृतका के पिता धनीराम (अ.सा.-3) एवं माता झुनिल (अ.सा.-5) ने अपने धारा 161 दं.प्र.सं. के अंतर्गत दिए गए कथनों में अपीलार्थी के विरुद्ध दहेज की मांग का कोई आरोप नहीं लगाया था, जिससे यह स्पष्ट होता है कि उन्होंने न्यायालय में अपने कथनों में सुधार किया है। मृतका के चाचा गंगा प्रसाद (अ.सा.-6) ने अपनी प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि उसने जनवरी माह में मृतका से मुलाकात की थी और उसके बाद उससे कभी नहीं मिला, जबकि मृतका की मृत्यु अप्रैल माह में हुई। इस साक्षी के कथन से भी यह सिद्ध नहीं होता कि मृतका को उसकी मृत्यु से ठीक पूर्व दहेज की मांग के कारण प्रताड़ित किया गया था। अभिलेख पर ऐसा कोई ठोस एवं स्वीकार्य साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिससे यह

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

प्रमाणित हो कि मृतका को मृत्यु से कुछ समय पूर्व अभियुक्त/अपीलार्थी द्वारा किसी प्रकार की क्रूरता या उत्पीड़न का सामना करना पड़ा हो। दहेज की मांग के संबंध में साक्ष्य भी अत्यंत दुर्बल हैं, क्योंकि साक्षियों के अनुसार 5,000 रुपये की मांग अपीलार्थी द्वारा अपने व्यवसाय हेतु की गई थी तथा अन्य आरोप सामान्य प्रकृति के प्रतीत होते हैं। **अप्पासाहेब बनाम महाराष्ट्र राज्य**, **(2007) 9 एससीसी 721** में प्रकाशित के प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

> 9. भारतीय दंड संहिता की धारा 304-ख के दो आवश्यक तत्व, अन्य तत्वों के अतिरिक्त, यह हैं—
>
> (1) महिला की मृत्यु जलने से या शारीरिक चोट से हुई हो अथवा सामान्य परिस्थितियों के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार से हुई हो; तथा
>
> **(ii)** महिला को उसके पति या उसके पति के किसी रिश्तेदार द्वारा **"दहेज"** की किसी मांग के लिए या उससे संबंधित क्रूरता या उत्पीड़न का सामना करना पड़ा हो।
>
> धारा 304-ख की उपधारा (1) के साथ संलग्न स्पष्टीकरण में यह कहा गया है कि **"दहेज"** का वही अर्थ होगा जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 की धारा 2 में दिया गया है।

10. दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 की धारा 2 इस प्रकार है:

2. "दहेज" की परिभाषा- इस अधिनियम में, "दहेज" से कोई ऐसी सम्पत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति अभिप्रेत है जो विवाह के समय या उसके पूर्व 4 [या पश्चात् किसी समय] -

(क) विवाह के एक पक्षकार द्वारा विवाह के दूसरे पक्षकार को; या

(ख) विवाह के किसी भी पक्षकार के माता-पिता द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा विवाह के किसी भी पक्षकार को या किसी अन्य व्यक्ति को,

[उक्त पक्षकारों के विवाह के संबंध में] या तो प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः दी गई है या दी जाने के लिए करार की गई है, किन्तु उन व्यक्तियों के संबंध में जिन्हें मुस्लिम स्वीय विधि (शरीयत) लागू होती है, मेहर इसके अंतर्गत नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. उपर्युक्त 'दहेज' की परिभाषा के आलोक में यह स्पष्ट है कि कोई भी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, विवाह के समय या उससे पूर्व अथवा विवाह के बाद किसी भी समय, तथा उक्त पक्षकारों के विवाह के संबंध में दी गई हो या दिए जाने पर सहमति हुई हो। अतः संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति का दिया जाना या लिया जाना विवाह से किसी न किसी प्रकार संबंधित होना चाहिए और संपत्ति या मूल्यवान

प्रतिभूति के दिए जाने अथवा लिए जाने तथा विवाह के बीच सहसंबंध होना अनिवार्य है। चूँकि यह एक दंडात्मक उपबंध है, अतः इसका कठोरतापूर्वक निर्वचन किया जाना आवश्यक है। दहेज भारत में एक सुविख्यात सामाजिक प्रथा है। विधि के निर्वचन का यह सुस्पष्ट सिद्धांत है कि यदि कोई अधिनियम किसी विशेष व्यापार, व्यवसाय या संव्यवहार के संदर्भ में पारित किया गया हो और उसमें ऐसे शब्द प्रयुक्त किए गए हों, जिन्हें उस व्यापार, व्यवसाय या लेन-देन से संबंधित प्रत्येक व्यक्ति किसी विशेष अर्थ में समझता हो, तो उन शब्दों की व्याख्या उसी विशेष अर्थ में की जानी चाहिए। (देखें: *यूनियन ऑफ इंडिया बनाम गरवारे नायलॉन्स लिमिटेड और केमिकल एंड फाइबर्स ऑफ इंडिया लिमिटेड बनाम यूनियन ऑफ इंडिया*). आर्थिक तंगी के कारण, किसी आकस्मिक घरेलू खर्च को पूरा करने के लिए अथवा खाद के क्रय हेतु धन की मांग को, सामान्यतः जिस अर्थ में 'दहेज' शब्द समझा जाता है, उस अर्थ में दहेज की मांग नहीं कहा जा सकता। अतः अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य यह प्रदर्शित नहीं करते कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 2 में परिभाषित किसी 'दहेज' की मांग अपीलार्थीयों द्वारा की गई थी, क्योंकि कथित रूप से जो मांगा गया था वह घरेलू खर्चों को पूरा करने तथा खाद के क्रय हेतु धन था। चूँकि भारतीय दंड संहिता की धारा 304-ख का एक आवश्यक तत्व,

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अर्थात् दहेज की मांग, सिद्ध नहीं होता, इसलिए अपीलार्थीयों की दोषसिद्धि को यथावत नहीं रखा जा सकता।

यदि उपर्युक्त विधिक स्थिति को वर्तमान प्रकरण पर लागू किया जाए, तो अभियोजन का संपूर्ण मामला संदेहास्पद हो जाता है, क्योंकि साक्ष्यों के अनुसार अभियुक्त/अपीलार्थी ने केवल एक बार अपने व्यवसाय हेतु 5,000 रुपये की मांग की थी और उक्त मांग को दहेज की मांग नहीं कहा जा सकता। इसके अतिरिक्त, यदि यह भी मान लिया जाए कि मृतका ने आत्महत्या की थी, तब भी अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 304-ख के अंतर्गत दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस धारा के अंतर्गत दोषसिद्धि हेतु एक मूलभूत तत्व यह है कि मृतका को उसकी मृत्यु से ठीक पूर्व दहेज की मांग के कारण अभियुक्त द्वारा क्रूरता या उत्पीड़न का सामना करना पड़ा हो, जो कि वर्तमान प्रकरण में पूर्णतः अनुपस्थित है। इसी प्रकार, एक अन्य प्रकरण **सतवीर सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य एवं एक अन्य**, **(2001) 8 एससीसी 633** में प्रकाशित के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है:

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

21. इस प्रकार, दहेज से संबंधित तीन अवसर होते हैं—पहला विवाह से पूर्व, दूसरा विवाह के समय और तीसरा विवाह के पश्चात् "किसी भी

समय"। तीसरा अवसर अनंत काल जैसा प्रतीत हो सकता है, किंतु महत्वपूर्ण शब्द हैं—"उक्त पक्षकारों के विवाह के संबंध में"। इसका अर्थ यह है कि उपर्युक्त तीनों चरणों में से किसी भी चरण पर दी गई या दिए जाने पर सहमति की गई संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति का पक्षकारों के विवाह से कोई संबंध होना चाहिए। पति-पत्नी के बीच धन के भुगतान या संपत्ति दिए जाने के अनेक अन्य अवसर भी हो सकते हैं; उदाहरणार्थ, संतान के जन्म अथवा अन्य समारोहों के संबंध में विभिन्न समाजों में कुछ प्रचलित परंपरागत भुगतान होते हैं। ऐसे भुगतान "दहेज" की परिधि में नहीं आते। अतः धारा 304-ख में उल्लिखित दहेज वही होगा, जो विवाह के संबंध में दी गई या दिए जाने पर सहमति की गई संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति हो।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

22. धारा 304-ख को लागू करने के लिए मात्र यह पर्याप्त नहीं है कि किसी भी समय महिला को दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ना या क्रूरता का सामना करना पड़ा हो; बल्कि यह भी आवश्यक है कि यह प्रताड़ना या क्रूरता उसकी मृत्यु से "ठीक पूर्व" हुई हो। यह वाक्यांश निस्संदेह एक लचीला अभिव्यक्ति है और इसका तात्पर्य मृत्यु से तुरंत पूर्व, या कुछ दिनों पूर्व, अथवा कुछ सप्ताह पूर्व की अवधि से भी हो सकता है; किंतु इस अभिव्यक्ति का केंद्रबिंदु मृत्यु के साथ उसका निकट संबंध है। इस

प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर विधायिका का उद्देश्य यह रेखांकित करना है कि, सभी संभावनाओं में, महिला की मृत्यु ऐसी प्रताड़ना या क्रूरता का प्रत्यक्ष परिणाम होनी चाहिए। अन्य शब्दों में, उसकी मृत्यु और दहेज से संबंधित प्रताड़ना या क्रूरता के बीच एक स्पष्ट एवं प्रत्यक्ष संबंध होना चाहिए। यदि ऐसी प्रताड़ना या क्रूरता और मृत्यु के बीच का अंतराल अधिक हो, तो न्यायालय यह निष्कर्ष निकाल सकता है कि, सभी संभावनाओं में, वह प्रताड़ना या क्रूरता उसकी मृत्यु का तात्कालिक कारण नहीं थी। अतः प्रत्येक प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर यह निर्णय न्यायालय पर निर्भर करता है कि क्या उस विशेष प्रकरण में उक्त अंतराल इतना पर्याप्त था कि "मृत्यु से ठीक पूर्व" की अवधारणा से उसका संबंध समाप्त हो जाए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अभियोजन द्वारा प्रस्तुत समग्र साक्ष्यों पर विचार करने के पश्चात् यह पाया जाता है कि अभियोजन अपीलार्थी के विरुद्ध आरोपों को संदेह से परे सिद्ध करने में असफल रहा है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी की दोषसिद्धि को यथावत नहीं रखा जा सकता।

10. परिणामस्वरूप, यह अपील स्वीकार की जाती है। विचारण न्यायालय द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 304-ख सहपठित धारा 34 के अंतर्गत अपीलार्थी

को दोषसिद्ध कर दंडित किए जाने संबंधी आक्षेपित निर्णय एवं आदेश को अपास्त किया जाता है तथा अपीलार्थी को दोषमुक्त किया जाता है। चूँकि अपीलार्थी जमानत पर है, अतः उसके जमानत बंधपत्र उन्मोचित किये जाते हैं।

सही/-

प्रीतीन्कर दीवाकर

न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित अभिनिर्धारित किया जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By .....Aniruddha Shrivastava , Advocate